22/04/2025 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण क्रमांक 02,03 नोटिस तामिली के उपरान्त भी अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी 02,03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गयी। वकील प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि मौका

सहायक कलक्टर, सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खिदावाड़ी में उत्तरोत्तर भूमि नवीन खसरा संख्या 261, 262, 265, 266, 267, 272, 273, 253, 294, 295 तथा रतनपुरी में खसरा संख्या 290 आई हुई है। उक्त भूमि प्रथम सेटलमेन्ट में प्रार्थीया के पिता परमा वल्द तेजा के नाम पुराना खेर खसरा संख्या 155, 125, 125 मी., 127, 127 मी दर्ज थी। परमा वल्द तेजा के फौत होने पर उनके पुत्र कानीराम व कालाराम उर्फ कालीदास के नाम हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त हुई। प्रार्थीया कालाराम उर्फ कालीदास की पुत्री है। उसके प्रार्थीया का उक्त भूमि में जन्म से हक-हिस्सा है लेकिन उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज हो गई है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त भूमि को बेचान, हस्तांतरण या खुर्दबुर्द कर दिया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन रुपयों-पैसों में किया जाना कतई सम्भव नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 25.7.2023 को अपास्त करने तथा प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act को खारिज करने का निवेदन किया।

मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी पैतृक प्रतीत हो रही है। [illegible] इच्छा, सुविधा [illegible] यदि अप्रार्थी द्वारा [illegible] बेचान अथवा खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
अपूरणीय क्षति होने की प्रबल सम्भावना है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। —: आदेश :— अतः प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा बिछावाडी के खसरा संख्या 261, 262, 265, 256, 267, 272, 273, 253, 294 तथा 295 एवं मौजा अमराडुटी के खसरा संख्या 290 पर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.01 17:09:16 IST
Reason: SelfAttested